295

संख्या : /XLI-1/2017 – 04/(प्रशि0)/2015 टी0सी0

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण, विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक : 10 अप्रैल, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में लेखाशीर्षक 2230–03–003–07, मानक मद–29 'अनुरक्षण' में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि/अंतिम किस्त की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या–11065/डीटीईयू/प्रशि0/2017, दिनांक 15 मार्च, 2017 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(युवक), देहरादून के प्रशासनिक भवन के मरम्मत हेतु टी.ए.सी. परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹26.10लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 में शासनादेश संख्या–241/XLI-1/2016–04(प्रशि0)/2015 टी0सी0 दिनांक 13 मई, 2016 द्वारा ₹16.67लाख(रु0 सोलह लाख सडसठ हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गई थी। प्रश्नगत कार्य को पूर्ण किए जाने हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में अवशेष धनराशि ₹09.43लाख(रु0 नौ लाख तैतालिस हजार मात्र) को आहरित कर व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. यदि वर्तमान में स्वीकृत धनराशि को विभाग अथवा कार्यदायी संस्था द्वारा कोषागार से आहरित कर बैंक खाते में रखा जाता है तो उस पर अर्जित ब्याज को यथासमय राजकोष/कोषागार की सुसंगत प्राप्ति शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का 90% निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु ही कार्यदायी संस्था को प्रदान किया जाएगा तथा शेष 10% निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् भवन के निरीक्षण हेतु गठित समिति की संस्तुति/सहमति तथा संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा भवन को कब्जे में लिए जाने के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
3. शेष शर्तें/प्रतिबन्ध उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या : 241/XLI-1/16–04(प्रशि0)/2015 टी0सी0 दिनांक 13.05.2016 के अनुसार यथावत लागू होंगे।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 में 'अनुदान संख्या–16 के 'आयोजनागत पक्ष' के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–"2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण, मानक मद '29–अनुरक्षण' के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/ अलॉटमेंट आई.डी. **S1704160158 (V.)** के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–**312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017** में चालू निर्माण कार्यो हेतु उल्लिखित दिशा–निर्देशों के क्रम निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या : 215 (1)/XLI-1/2017–04/(प्रशि0)/2015 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हल्द्वानी–नैनीताल ।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हल्द्वानी–नैनीताल।
6. मुख्य वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी–नैनीताल।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, युवक, देहरादन।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं ससाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।